

प्रेषक

उमेश चन्द्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
30प्र0, लखनऊ।

डायरी संख्या 6-556/नलकूप
दिनांक 29.15.18

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-10

लखनऊ : दिनांक : 25 मई, 2018

विषय- बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपद-जालौन, हमीरपुर व बादा में 75 अदद असफल नलकूपों के पुनर्निर्माण एवं जल वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण की परियोजना हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख अभियन्ता (यान्त्रिक), सिंचाई विभाग 30प्र0 के पत्रांक-3294/03-72एच/बु.क्ष./75अदद असफल नलकूप पुनर्निर्माण परि.नलकूप नियंत्रण, दिनांक 24.04.2018 एवं शासनादेश सं0-06/2018/3614/सत्ताइस-10-17-31बजट/17, दिनांक 30.01.2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रशस्तगत परियोजना की कुल अनुमोदित लागत रु0 19,86,00,000/- पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रु0 7,94,40,000/- व्यय हेतु अवमुक्त की गयी है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपद-जालौन, हमीरपुर व बादा में 75 अदद असफल नलकूपों के पुनर्निर्माण एवं जल वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण की परियोजना हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रु0 7,94,40,000/- (रुपये सात करोड़ चौरानधे लाख चालीस हजार मात्र) व्यय करने हेतु अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उपर्युक्त परियोजना में पूर्व में निर्गत शासनादेश सं0-06/2018/3614/सत्ताइस-10-17-31बजट/17, दिनांक 30.01.2018 में उल्लिखित शर्तें यथावत लागू रहेंगी। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 में निर्धारित शर्तें/प्रतिबन्धों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाएगा।

4- उक्त धनराशि का व्यय घालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-94 के लेखाशीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-102-भू जल-03-नलकूप योजनाएं-0318-राजकीय नलकूपों का पुनर्निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- उक्त वित्तीय स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 एवं वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-2 के आदेश सं0-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक 26.08.2014 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी की जा रही है।

भवदीय

(उमेश चन्द्र)

उप सचिव

संख्या-947(1)/सत्ताइस-10-18, तददिनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, 30प्र0 इलाहाबाद।
 - (2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, 30प्र0 इलाहाबाद।
 - (3) प्रमुख अभियन्ता (यान्त्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, 30प्र0 लखनऊ।
 - (4) मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग 30प्र0, लखनऊ।
 - (5) वित्त नियंत्रक, सिंचाई विभाग, लखनऊ।
 - (6) वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (नलकूप) सिंचाई विभाग, 30प्र0, लखनऊ।
 - (7) मुख्य अभियन्ता (नलकूप मध्य), सिंचाई विभाग, 30प्र0 लखनऊ।
 - (8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/सिंचाई अनु0-9/नियोजन अनु0-13
 - (9) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
 - (10) गाई बुक (बजट)।

आज से

(उमेश चन्द्र)